न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 29/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/101)

1. बद्री उम्र 62 वर्ष पुत्र ग्यारसा
2. किशनलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र ग्यारसा
3. जगदीश उम्र 50 वर्ष पुत्र मंगल्या
4. बाबूलाल उम्र 30 वर्ष पुत्र मंगल्या
5. मंगली उम्र 59 वर्ष पत्नि रामसहाय

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम माण्डाहेडा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।
2. तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 23.12.2021 जिसके तहत ग्राम चांदावास, तहसील रामगढ पचवारा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 233/3 में से 3 बीघा भूमि की किस्म चरागाह से खारिज कर उक्त चरागाह भूमि के बदले ग्राम माण्डाहेडा तहसील रामगढ पचवारा स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 90/58 में से 3 बीघा भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में परिवर्तन करते हुए प्रस्तावित चरागाह भूमि को शमशान हेतु सैटअपार्ट किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है।

उपस्थित :—

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —20.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 23.12.2021 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत हेमल्यावाला पं0स0 रामगढ पचवारा की मॉग एवं अनापत्ति के आधार पर तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपने पत्र क्रमांक: भू0अ0/2021/1860 दिनांक 16.12.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2021/410 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा ग्राम चांदावास, तहसील रामगढ पचवारा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 233/3 रकबा 83 बीघा 17 बिस्वा में से 3.00 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। उक्त चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम माण्डाहेडा, तहसील रामगढ पचवारा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 90/58 रकबा 15.00 बीघा में से 3.00 बीघा भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में परिवर्तन करने हेतु क्षतिपूर्ति प्रस्ताव जिला कलेक्टर दौसा को प्रेषित किया है। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत हेमल्यावाला पं0स0 रामगढ पचवारा द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 02.10.2021 पारित कर अनापत्ति प्रदान की गई।

जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.12.2021 द्वारा ग्राम पंचायत हेमल्यावाला पं.सं. रामगढ़ पचवारा की मांग एवं अनुरोध तथा तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम चांदावास, तहसील रामगढ़ पचवारा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 233/3 रकबा 83 बीघा 17 बिस्वामें से 3.00 बीघाभूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम—7 तथा राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(25)राज0—6/2014/32 दिनांक 01.04.2021 के अन्तर्गत चरागाह से खारिज की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जाकर तथा उक्त चरागाह भूमि के बदले ग्राम माण्डाहेडा तहसील रामगढ पचवारा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 90/58 रकबा 15.00 बीघा में से 3.00 बीघा भूमि को चरागाह में परिवर्तन करते हुये प्रस्तावित चरागाह भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया जाकर गै0 मु0 शमशान दर्ज किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रसारित कर पारित किये गये हैं।

3. जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 23.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट बद्री पुत्र ग्यारसा वगैरहा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं जिला कलेक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना एवं मौके पर कब्जे की जॉच किये बिना तथा तहसीलदार की मनमर्जी की बनायी गयी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 90/58 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम माण्डाहेडा में मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा अपीलान्ट व अपीलान्ट के बुर्जुगों का कब्जा 50 वर्ष से भी अधिक समय से चला आ रहा है। अपीलान्ट की नियमन की पत्रावलियां अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। कानूनन जिस गॉव की भूमि को सेटअपार्ट किया जाता है उसी गॉव की भूमि में से क्षतिपूर्ति की जाती है तथा क्षतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है, किन्तु कानून के विपरीत जाकर सेटअपार्ट अन्य गॉव की भूमि में की गयी है एवं क्षतिपूर्ति ग्राम माण्डाहेडा में अपीलान्ट के कब्जे की भूमि में से किया गया है। कानून सेटअपार्ट व क्षतिपूर्ति वेकेंट लैण्ड भूमि से ही की जा सकती है। उक्त खसरा नंबर 90/58 वेकेंट लैण्ड भूमि नहीं है, किन्तु फिर भी वेकेंट लैण्ड भूमि हुए बिना ही उक्त भूमि में से क्षतिपूर्ति बतौर भूमि देने का आदेश देकर कानूनी गलती की है। अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार है तथा लम्बे समय से काबिज है। उक्त भूमि को राज्य सरकार के विभिन्न सर्कूलर के तहत अपने हक में खसरा नम्बर 90/58 रकबा 15 बीघा को नियमन करवाने के अधिकारी है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को अपीलान्ट के हक में नियमन की कार्यवाही नहीं कर और क्षतिपूर्ति बतौर देने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 23.12.2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने भी उक्त भूमि अपीलान्ट को नियमन करने एवं नियमन की पत्रावली आवंटन कमेटी के समक्ष रखने हेतु आदेश दे रखे है। अपीलान्ट ने अनेकों बार उक्त भूमि को अपने हक में नियमन करवाने हेतु उप जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किये है, किन्तु अपीलान्ट की नियमन पत्रावली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर का स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी अपीलान्ट के हक में नियमन की कार्यवाही किये बिना व आवंटन कमेटी की मिटिंग बुलाये बिना ही सेटअपार्ट की गयी भूमि के बदले उक्त भूमि में से क्षतिपूर्ति करने हेतु भूमि की किस्म परिवर्तन करने का जिला कलैक्टर दौसा ने आदेश पारित किया है। जिससे प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार है तथा अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.12.2021 से प्रभावित पक्षकार को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार किस प्रकार है साबित करने में अपीलान्ट विफल रहे है। जिस आराजी को क्षतिपूर्ति हेतु उपयोग में लिया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटन नहीं कर दिया जाता तब तक किसी भी पक्ष के अधिकार सृजित नहीं होते है। इसलिये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. को अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होना सिद्व नही कर पाने के कारण अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा ग्राम पंचायत हेमल्यावाला पं.सं. रामगढ़ पचवारा की मांग एवं अनुरोध तथा तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम चांदावास, तहसील रामगढ़ पचवारा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 233/3 रकबा 83 बीघा 17 बिस्वामें से 3.00 बीघाभूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम–7 तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(25)राज0–6/2014/32 दिनांक 01.04.2021 के अन्तर्गत चरागाह से खारिज की जाकर तथा उक्त चरागाह भूमि के बदले ग्राम माण्डाहेडा तहसील रामगढ पचवारा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 90/58 रकबा 15.00 बीघा में से 3.00 बीघा भूमि को चरागाह में परिवर्तन करते हुये प्रस्तावित चरागाह भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया जाकर गै0 मु0 शमशान दर्ज किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रसारित कर पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर